

भारत का राजपत्र दिनांक 10.12.2003 अंक में प्रकाशित सा.कर

नि.23 (अ) वन संरक्षण अधिनियम 2003 के अंतर्गत

परिशिष्ट

(देखिये नियम 6)

फार्म (क)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/SCH/153248/2022

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग -I

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण	
i	अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	आदिवासी विकास विभाग,कांकेर द्वारा "कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" संचालन हेतु जिला- उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत ग्राम-सुरही के नारंगी वनखंड क्रमांक-1413,खसरा क्रमांक-468/1 में रकबा 6.50 हे. राजस्व वनभूमि का गैर-वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।
ii	1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	मानचित्र संलग्न है।
iii	परियोजना की कुल लागत	20 करोड रुपये। (अनुमानित)
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रलय,नई दिल्ली द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाना है। जिसके लिए राजस्व भूमि की तलास किया गया,किन्तु उपयुक्त एवं आवश्यकता के अनुरूप भूमि न मिलने के कारण नारंगी वनभूमि कक्ष क्रमांक-1413,खसरा क्रमांक-468/1 में रकबा 6.50 हेक्टेयर वनभूमि का गैर-वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 6.50 हेक्टेयर वनभूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है।

v	लागत लाभ विश्लेषण वित्तीय तथा सामाजिक लाभ (संलग्न किए जाने के लिए)।	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन, मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक/7-9/2011-FC(Pt) नई दिल्ली दिनांक 01.08.2017 के अनुसार 20 हेक्टेयर से कम वनक्षेत्र व्यपवर्तन में लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।																																												
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	“कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय” निर्माण से दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण में सुधार व भविष्य में बच्चों की विशेष तकनीकी/शारिरिक/बौद्धिक विकास में सुधार होगी। जिससे वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। जो, कि जनहित के लिए उपयुक्त होगा। जिससे आस-पास के लोगो को रोजगार के नये अवसर प्रदान होंगे।																																												
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	आदिवासी विकास विभाग, कांकेर द्वारा “कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय” संचालन हेतु जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) अंतर्गत ग्राम-सुरही के खसरा क्रमांक-468/1 में रकबा 6.50 हेक्टेयर वनभूमि का गैर-वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरहरपुर की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान कर अपनी प्रतिभा से देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र</th><th>विवरण</th><th>रकबा (हे.में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>School Buildings (G+1)</td><td rowspan="11">0.995 हे.</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Boy's Hostel (G+1) 240 Bedded</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Girls's Hostel (G+1) 240 Bedded</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Warden Residence (Boy's Hostel)</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Warden Residence (Girl's Hostel)</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Kichen & Dining</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Principal Quarter</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Qtrs 8 Nos Qtrs (4 Flats on Each)</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Other 7 Nos Qtrs (4 Flats on G.F., 3)</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Type II Quarters (G+2)- 10 Nos Qbs</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Guest House</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Play Ground</td><td>2.94 हे.</td></tr> <tr><td>13.</td><td>DRINKING WATER (Sump, Deep Boring, Overhead Tank, Pump Room)</td><td>0.02 हे.</td></tr> <tr><td>14.</td><td>GREEN FEATURES (Surface drain including culvert & storm water drain, External sewage system, Septic Tank/Composite Pits, Rain water harvesting)</td><td>0.835 हे.</td></tr> <tr><td>15.</td><td>HORTICULTURE/ LANDSCAPING(Plantation, Garden, Landscaping)</td><td>1.48 हे.</td></tr> <tr><td>16.</td><td>OTHERS (Boundary wall, Entry gate with security room, Flag hosting stage, Electric substation, Internal Roads, Internal Pathways)</td><td>0.23 हे.</td></tr> <tr> <td colspan="2">योग :-</td><td>6.50</td></tr> </tbody> </table>	क्र	विवरण	रकबा (हे.में)	1.	School Buildings (G+1)	0.995 हे.	2.	Boy's Hostel (G+1) 240 Bedded	3.	Girls's Hostel (G+1) 240 Bedded	4.	Warden Residence (Boy's Hostel)	5.	Warden Residence (Girl's Hostel)	6.	Kichen & Dining	7.	Principal Quarter	8.	Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Qtrs 8 Nos Qtrs (4 Flats on Each)	9.	Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Other 7 Nos Qtrs (4 Flats on G.F., 3)	10.	Type II Quarters (G+2)- 10 Nos Qbs	11.	Guest House	12.	Play Ground	2.94 हे.	13.	DRINKING WATER (Sump, Deep Boring, Overhead Tank, Pump Room)	0.02 हे.	14.	GREEN FEATURES (Surface drain including culvert & storm water drain, External sewage system, Septic Tank/Composite Pits, Rain water harvesting)	0.835 हे.	15.	HORTICULTURE/ LANDSCAPING(Plantation, Garden, Landscaping)	1.48 हे.	16.	OTHERS (Boundary wall, Entry gate with security room, Flag hosting stage, Electric substation, Internal Roads, Internal Pathways)	0.23 हे.	योग :-		6.50
क्र	विवरण	रकबा (हे.में)																																												
1.	School Buildings (G+1)	0.995 हे.																																												
2.	Boy's Hostel (G+1) 240 Bedded																																													
3.	Girls's Hostel (G+1) 240 Bedded																																													
4.	Warden Residence (Boy's Hostel)																																													
5.	Warden Residence (Girl's Hostel)																																													
6.	Kichen & Dining																																													
7.	Principal Quarter																																													
8.	Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Qtrs 8 Nos Qtrs (4 Flats on Each)																																													
9.	Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Other 7 Nos Qtrs (4 Flats on G.F., 3)																																													
10.	Type II Quarters (G+2)- 10 Nos Qbs																																													
11.	Guest House																																													
12.	Play Ground	2.94 हे.																																												
13.	DRINKING WATER (Sump, Deep Boring, Overhead Tank, Pump Room)	0.02 हे.																																												
14.	GREEN FEATURES (Surface drain including culvert & storm water drain, External sewage system, Septic Tank/Composite Pits, Rain water harvesting)	0.835 हे.																																												
15.	HORTICULTURE/ LANDSCAPING(Plantation, Garden, Landscaping)	1.48 हे.																																												
16.	OTHERS (Boundary wall, Entry gate with security room, Flag hosting stage, Electric substation, Internal Roads, Internal Pathways)	0.23 हे.																																												
योग :-		6.50																																												
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	वन भूमि में कोई भी व्यक्ति निवासरत् नहीं है। एवं वनभूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विस्थापित नहीं होगा।																																												
i	परिवारों की संख्या।	निरंक																																												

ii	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)।	चूँकि विस्थापन नहीं किया जा रहा है। इसलिए जानकारी निरंक है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक/ एस.ओ. 1533 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 के अनुसार अनुसूची में छूट प्रदान की गई है। इसलिए आवश्यक नहीं है।
5	प्रति पूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता प्रमाण पत्र (वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न की जाए)।	संलग्न है। पेज क्रमांक से तक।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

तिथि :- 15/6/2022

स्थान :- कांकेर

(स्थ) आयुक्त,
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास शाखा, कांकेर
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)